18 III/निग0/शहडोल/भू-रा0/2017/2832

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल महोदय, म0प्र0 ग्वालियर
सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

निगरानी प्र0क0 .... /17

Rs. 30/-

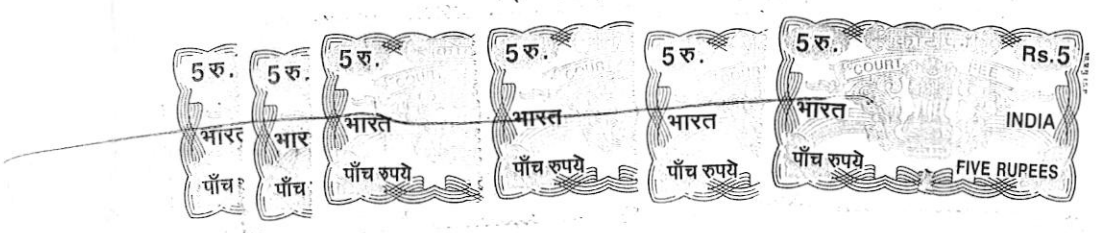

5 रु. भारत पाँच रुपये — 5 रु. भारत पाँच रुपये — 5 रु. भारत पाँच रुपये — 5 रु. भारत पाँच रुपये — 5 रु. भारत पाँच रुपये — 5 रु. भारत पाँच रुपये COURT FEE Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

रमेश कुमार पाण्डेय पिता ठाकुरदीन ब्रा0 उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम छतवा तह0 व्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0 ---- निगरानी कर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय, शहडोल जिला शहडोल म0प्र0 -- गैरनिगरानीकर्ता

अधि0 श्री बी.पी. चतुर्वेदी। द्वारा पेश 24.8.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्व न्यायालय कलेक्टर जिला शहडोल निगरानी राजस्व प्र0क0 117 निगरानी /2001 पारित आदेश दिनांक 22-12-2003

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

संक्षेप मं प्रकरण इस प्रकार है :-

1- यह कि आराजी नं0 72/3 एवं 63/3 कुल रकवा 5 एकड स्थित ग्राम छतवा तह0 व्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0 की आराजी को म0प्र0 शासन द्वारा 1969-70 में राजस्व विभाग को अन्तरित कर दी गई थी देरीना कब्जे के आधार पर आवेदक निगरानीकर्ता का वर्ष 1969-70 के पूर्व कब्जे के आधार पर तथा व्यवस्थापन के समस्त शर्तो को पूरा करने के कारण व्यवस्थपन होने के वजह से शासन के आदेश 31-12-1973 के पूर्व कब्जा की भूमि का व्यवस्थान राजस्व 21ए 19 /74-75 आदेश दिनांक 03-02-75 के मुताबिक व्यवस्थापन का आदेश दिया गया तदानुसार उक्त भूमि का भूमिस्वामी आवेदक हो गया तत्पश्चात उक्त प्रकरण बन मण्डलाधिकारी उत्तर शहडोल के अर्द्वशासकीय पत्र कमांक 120 दिनांक 03-09-2001 के संदर्भ में स्वमेव

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- तीन/निगरानी/शहडोल/भू.रा./17/2832

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री बी0 पी0 चतुर्वेदी उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला शहडोल के प्रकरण क्रमांक 117/निगरानी/2001 में पारित आदेश दिनांक 22-12-03 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी मेमो के साथ आवेदक द्वारा धारा 5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि यह निगरानी इस न्यायालय में लगभग 14 वर्ष से अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन में जो तथ्य बतायें गये हैं वह समाधानकारक होने से निगरानी में प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है। 3- प्रकरण में जिला कलेक्टर जिला शहडोल के आदेश का अध्ययन किया उससे स्पष्ट है कि भूमि आबंटन के समय प्रशनाधीन भूमि जंगल मद में दर्ज थी उसके पश्चात भी तहसीलदार द्वारा मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर व्यवस्थापन की कार्यवाही	

की गई लेकिन तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन के पूर्व यह भी नहीं देखा कि खसरा में भूमि जंगल मद में दर्ज है। तहसीलदार को चाहिए था कि आवेदक को भूमि आबंटित करने के पूर्व संबंधित वन विभाग से जानकारी लेना चाहिए लेकिन उनके द्वारा ऐसा न करने पर घोर लापरवाही की गई है, जिससे उनका आदेश निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला शहडोल का प्रकरण क्रमांक 117/निगरानी/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 22-12-2003 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य